

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.04.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—45 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01सुग्रीव पुत्र हजारी लाल नि0 गुप्तार घाट थाना कैंट जनपद अयोध्या के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 02 किलो0 यूरिया व 250 ग्राम नौसादर बरामद कर मु0अ0सं0—124 / 21, धारा— 272 भादवि व 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 22.04.2021

**बलवा व मारपीट करने के 02 वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 19.04.2021 को थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पसका में दो पक्षों में मारपीट हुई थी तथा विपक्षीगणों ने वही पर खड़ी एक स्कॉर्पियों गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना परसपुर में मु030सं0-78/21, धारा—147,148,323,504,506,427,188 भादवि, 51 आपदा प्रबन्धन अधि0, 7 सी0एल0ए0 एकट व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने वांछित चल रहे 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. शक्ति उर्फ शुधांशू पुत्र बाबादीन नि0 पसका बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. बब्न सिंह पुत्र तलब सिंह नि0 पसका बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु030सं0-78/21, धारा— 147,148,323,504,506,427,188 भादवि, 51 आपदा प्रबन्धन अधि0, 7 सी0एल0ए0 एकट व 3 महामारी अधि0 जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह थाना परसपुर मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.04.2021**

**जानलेवा हमला करने के 03 वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 21.04.2021 को थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भिटौरा में विपक्षीगणों ने वादी सत्येन्द्र बहादुर सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह नि० दिलीप पुरवा भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के भाई के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए मारा—पीटा था। जिससे वादी का भाई मौके पर ही बेहोश हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में मु०अ०सं० –123 / 21, धारा— 147, 148, 323, 504, 506, 307, 308, 427, 188 भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधि० का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मनकापुर पुलिस ने वांछित चल रहे 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण:—**

01. अवधेश सिंह पुत्र दलजीत सिंह नि० दिलीप पुरवा थाना भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. ज्ञानचन्द्र पुत्र मोहन लाल नि० करौंदी भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. सुदर्शन पुत्र पाटनदीन नि० अग्नीपुरवा भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ०नि० महिमानाथ उपाध्याय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.04.2021**

**बलवा करने के 03 वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 19.04.2021 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पूरे पण्डित वृन्दावन में कुछ लोगों द्वारा अराजकता फैलाते हुए ईटा-पत्थर से पथराव किया गया था। जिसके संबंध में थाना धानेपुर में मु0अ0सं0-115/21, धारा 147.148.269.270. 332.323.504.506.427.188.171 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एकट व 51 आपदा प्रबन्धन अधिकारी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना धानेपुर पुलिस ने आज दिनांक 22.04.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. राकेश पासवान पुत्र राम केवल पासवान निर्देश पूरे पण्डित वृन्दावन थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. सुरेन्द्र पासवान पुत्र राम केवल पासवान निर्देश पूरे पण्डित वृन्दावन थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. छोटकऊ अली उर्फ अकबर पुत्र मुसीबत अली निर्देश बरगदही लालपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-115/21, धारा 147,148,269,270,332,323,504,506,427,188,171 च भादवि व 7 सी0एल0ए0 एकट व 51 आपदा प्रबन्धन अधिकारी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

संजय कुमार तोमर थानाध्यक्ष धानेपुर मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.04.2021**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 22.04.2021 को थाना को० नगर के उ०नि० शेषमणि पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रईश मोहम्मद पुत्र स्व० मो० गपफार खॉ जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 110 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. रईश मोहम्मद पुत्र स्व० मो० गपफार खॉ नि० महरानीगंज घोसियाना थाना को० नगर जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-३०५/२१, धारा ८/२१ एन०डी०पी०एस० थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 110 ग्राम पाउडर अल्प्राजोलम।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० शेषमणि पाण्डेय